राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 204 जुलाई 2016 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने एक 26 वर्षीय महिला को अपने 24 सप्ताह के गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति दी है क्योंकि उसका भ्रूण एननसीफएली नाम के रोग से ग्रस्त है जो एक गंभीर जन्मजात रोग है जिसमें शिशु मस्तिष्क और खोपड़ी के हिस्सों के बिना पैदा होता है।

उस महिला ने गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 (एम.टी.पी. एक्ट) को चुनौती दी थी जो 20 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ की गर्भपात कराने पर रोक लगाता है चाहे मां और भ्रूण के घातक खतरे के मामले भी क्यों न हों। उसने तर्क दिया कि यह अधिकतम सीमा असंवैधनिक है और उसके जीवित रहने के अधिकार का उल्लंघन करती है। उसने इसे "असंगत, मनमाना, कठोर और भेदभाव पूर्ण वाला" बताया।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वर्तमान उन्नति से पहले की तुलना में अब 20 सप्ताह के बाद के भ्रूण की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस अधिनियम को जो अब 45 वर्ष पुराना हो गया है बहुत पहले संशोधित कर दिया जाना था जिससे महिलाओं को अपने भ्रूण की समाप्ति के लिए जिन्हें चिकित्सीय रूप से "जीवन के लिए

चर्चा में गर्भपात कानूनों को अद्यतन बनाना

अनुकूल नहीं पाया गया है,"कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ता। महाधिवक्ता की यह दलील कि कोई भी छूट देने से कन्या भ्रूण की हत्या को बढ़ावा मिलेगा, विवादास्पद है क्योंकि ऐसे मामलों के समाधान के लिए विशिष्ट कानून बने हुए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसे गर्भपात कराने के लिए गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी दिए हैं जहां "गर्भवती महिला नाबालिग हैं अथवा जो बलात्कार अथवा कौटुम्बिक व्यभिचार के कारण गर्भवती हुई है अथवा गर्भवती महिला शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ है अथवा भ्रूण के रहने से मां की जान को खतरा हो सकता है अथवा भ्रूण गंभीर असामान्यताओं से ग्रस्त है"।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार भी कोई भी महिला असामान्य भ्रूण के होने के मामले में गर्भपात करा सकती है। तथापि प्रत्येक देश की अपनी समय सीमा है जो अधिकांश मामलों में 20 सप्ताह से अधिक है, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड केवल ऐसे देश हैं जहां अधिकतम सीमा नहीं है।

यहां यह कहना सुसंगत होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014 में कुछ परिस्थितियों में 20 सप्ताह से अधिक अवधि के बाद भी गर्भपात कराने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया था। तब वह इस विचार को वास्तविक रूप देने में इतना अधिक समय क्यों ले रहा है? चूंकि यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर विवादग्रस्त नहीं है, तब कोई वैध कारण नहीं है कि दशाब्दि पुराने कानून को शीघ्र ही क्यों नहीं संशोधित किया जाए जबकि अनेक गर्भवती माताओं की जानें अधर में लटकी हुई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्या की भारत के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम और सदस्या सुषमा साहू की महिलाओं की सुरक्षा और महिला न्याय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात।

महत्वपूर्ण निर्णय

- सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाली गर्भवती महिलाएं शीघ्र ही 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी जिससे उनको अपने पेशेवर जिम्मेदारियों को अपनी व्यक्तिगत जीवन के साथ सामंजस्य करने में सहायता मिलेगी और गर्भवती माताएं अपना रोजगार नहीं छोड़ेगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक ग्रुप ने श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यदि केन्द्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो भारत उन चालीस देशो में शामिल हो जाएगा जहां मातृत्व अवकाश 18 सप्ताह से अधिक है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक मॉडल कानून को स्वीकृति दी है जो दुकानों, माल और सिनेमा हालों को अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सारे वर्ष 24x7 चलने की अनुमति देता है। यह महिलाओं के लिए रात की पाली में नियुक्ति का भी प्रावधान करता है यदि उन्हें पेय जल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा और क्रेच के साथ शेल्टर, रेस्ट रूम, महिला टॉयलेट और पर्याप्त सुरक्षा और परिवहन उपलब्ध की जाती है।

महिलाओं के लिए उद्मियता के अवसरों पर कार्यशाला

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के साथ मिलकर ''महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमियता के अवसर'' पर दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य गैरसरकारी क्षेत्र, क्षेत्रीय सरकारों और कौशल प्रदाताओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए बिजनेस केस प्रस्तुत करना; प्रतिभागियों के समर्थन से वर्तमान प्रयासों को करना और उन्हें विस्तृत करने के लिए रणनीतियां विकसित करना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा यू.एन.डी.पी.कार्यशाला में लेक्चर देती हुई

इस अवसर पर बोलती हुई मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि यदि रोजगार और उद्यमिता में महिला–पुरुष बराबरी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भारत की जनसंख्या स्वरूप का लाभ लेना अब से 20 वर्षों में एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। उन्होनें महिलाओं की सॉफ्ट स्किल्स को और अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उनकी प्रसुप्त क्षमता को व्याक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए न्यायसंगत अवसरों में बदला जा सके। तथापि वह अशावादी थी और उन्होनें कहा कि बहुत शीघ्र ही महिलाएं देश के विकास में बराबरी की भागीदार बनेंगी जिससे देश में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आएगा।

सभी प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि महिला पुरुष बराबरी प्राप्त करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है और उपयुक्त महिलाओं के लिए उपयुक्त रोजगारों की पहचान की जानी चाहिए।

'मेक इन इंडिया' में महिलाओं की भूमिका

युवा विकास केंद्र ने 'मेक इन इंडिया में महिलाओं की भूमिका : आगे अवसर और चुनौतियाँ' पर गुवाहाटी में अपना 12वां वार्षिक व्याख्यान का आयोजन किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि 'मेक इन इंडिया' विदेशी निवेश के लिए केवल एक मुद्दा नहीं है अपितु विकास कार्यों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए देश के सामने एक नवीन विचार है। उन्होनें कहा कि महिलाओं को इस प्रोजेक्ट के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। भारत में आज भी महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रत्यक्ष रुप से कृषि से जुड़ी हुई हैं परन्तु उनके पास जमीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। अध्यक्षा ने कहा कि महिलाओं को महिला संबंधित कानूनों जैसे दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न अधिनियम, आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने केन्द्रीय सरकार की स्कीमों जैसे धन–जन योजना, अटल पेंशन योजना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की प्रशंसा की। उन्होने महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने कौशल का विकास करने की अपील की।

वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवा सहित लगभग 180 प्रतिभागी इस व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थित थे।

पी पी एम आर सी प्रकोष्ठ से

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ सहयोग से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए एक वृहत राष्ट्र–व्यापी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई को प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और इसका बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन करने के लिये फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है। प्रशिक्षण को–इसकी विषय डिलीवरी, शिक्षण तरीके और कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और निचले पायदान की महिला नेताओं के लिए सुसंगत बनाने हेतु प्रूफ ऑफ कॉनसेप्ट (पी.ओ.सी.) अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक राज्य में पी.ओ.सी. अभ्यास से भारत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों तक पहुंचने के लिए एक वृहत कार्यान्वयन रणनीति के लिए आधार बन सकता है। राजस्थान में झालावाड़ जिले को इस अभ्यास के लिए चुना गया है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्रमशः 2–4 मई और 16–18 जून 2016 से दो चरणों में किए गए।

मानव तस्करी पर विचार–विमर्श

विधि–प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में 'मानव तस्करी' पर विचार–विमर्श का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता आयोग की अध्यक्षा ने की। इस विचार–विमर्श में सदस्या रेखा शर्मा, सदस्या सचिव प्रीति मदान, डा. लोपामुद्रा बक्सीपात्र, संयुक्त सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सुश्री छाया शर्मा, डी.आई.जी., एन.एच.आर.सी., टी.आई.एस.एस. से श्री पी.एम. नायर और सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स से सुश्री भारती अली और जी. नागराजन, अवर सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग उपस्थित हुए।

मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2016 की पूरी तरह से जांच की गई और यह निष्कर्ष निकला कि अपने वर्तमान रूप में प्रारूप विधेयक में कानूनी खामियां हैं और परामर्श प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इसलिए, समूचे विधेयक की पुनः जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि अनेकार्थकता और अस्पष्ट प्रावधानों के कारण यह प्रभावी नहीं होगा और पूरे रूप में इसे स्वीकार नही किया जा सकेगा। इस विषय पर एक पत्र महिला और बाल विकास मंत्रालय का भेजा गया।

साहस की मिसाल

एक युवा दुल्हन ने यह पता चलने पर कि दूल्हा शराब पिए हुए है, जयमाला समारोह से मिनट पूर्व अपना विवाह रुकवा दिया। यह घटना पटना में भागलपुर जिले के नौगछिया में हुई। दुल्हन ने, जो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है, यह पता चलने पर कि भावी पति पूरी तरह से पिए हुए है, फूलमाला को मंडप की जमीन पर फेंक दिया और अपने अस्थायी कमरे की ओर भागी। इससे सब लोग भौंचक्के रह गए। लड़की के इस कदम से उसके रिश्तेदारों ने उसकी प्रशंसा की। बरातियों को तब तक के लिए बंधक बना दिया गया जब तक उन्होंने दहेज का धन लड़की के परिवार वालों को वापस नहीं किया।

विशेषज्ञ समिति की बैठक

पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोग में हुई जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की अध्यक्षाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और राज्य सरकारों और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रतिभागियों ने प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उनकी सिफारिशों पर मंत्रणा की।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप

- एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध शिकायत दायर की थी जिसमें दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था। अपनी शिकायत में उसनें यह भी कहा कि उसके पति ने जार्जिया, अमेरिका में उसके विरुद्ध तलाक याचिका दायर की थी। आयोग ने अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशों में रह रहे पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम के अंतर्गत उसे सहायता देने हेतु विदेश मंत्रालय के पास मामला उठाया। मंत्रालय ने मामले की जांच के बाद शिकायतकर्ता को सहायता देने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाया।
- एक भारतीय महिला और उसके छोटे बच्चे को उसके अनिवासी भारतीय पति द्वारा बिना कोई वित्तीय सहायता दिए परित्यक्त करने के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में एक शिकायत दर्ज की गई थी। उसने यह भी कहा कि उसने मुम्बई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। आयोग ने अमरीका में भारतीय वाणिज्य दूतावास और मुम्बई पुलिस के पास मामला उठाया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद मुम्बई पुलिस ने मुम्बई कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल किया है।
- आयोग को आई.आई.एम. रांची की एक महिला फैकल्टी सदस्या से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना की उसकी शिकायत की जांच आई.सी.सी. द्वारा, जिसका गठन भी कानून के अनुसार नही हुआ था उपयुक्त तरीके से जांच नहीं की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह मामला आई.आई.एम., रांची के निदेशक के पास उठाया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जिसका बिंदु–वार उत्तर प्राप्त हुआ। तथापि, आयोग ने प्रथम दृष्टि में उत्तर संतोषजनक नहीं पाया और आयोग ने निदेशक को बयान देने के लिए 26 जुलाई, 2016 को बुलाया।

❖ सदस्या सुषमा साहू एडवोकेट मनीष कुमार के साथ एक मामले की जांच करने के लिए मोतीहारी गई, जिसमें रामगढ़वा जिला–पूर्वी चंपारण (मोतीहारी) के एक निवासी का एक गांव वाले ने अपहरण करके उससे बलात्कार किया। उसने अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर भी ली और एक एम.एम.एस. बनाया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके मां–बाप आरोपी के घर गए और उन्हें चेतावनी दी कि वे पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे। आरोपी के परिवार ने तब

सदस्या सुषमा साहू (मध्य) में शिकायतों को सुनती हुई

उन्हें गंभीर परिणामों की धमकी दी। दो दिनों के बाद अपराधी ने अपने भाई के साथ अनेक लोगों की उपस्थिति में न केवल महिला से बलात्कार किया अपितु उससे पाशविक व्यवहार भी किया। बाद में पीड़िता की प्राथमिक चिकित्सा दी गई और एक सप्ताह के बाद उसकी डाक्टरी जांच की गई। तथापि, पुलिस अधिकारियों ने किसी अपराधी को नहीं पकड़ा है। जांच टीम ने डाक्टर और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की सिफारिश की है। बाद में डा. प्रशान्त कुमार, सिविल सर्जन, मोतीहारी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया परन्तु वे नहीं आए। इसके बाद मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार के माध्यम से समन जारी किए गए। सिविल सर्जन निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के समक्ष बयान दिया। टीम ने यह भी जानना चाहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान दर्ज मामलों की स्थिति क्या है जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत डाक्टरी जांच की गई थी और उस डाक्टर के बारे में भी पूछा जो इस विशेष मामले में उत्तरदायी है। ● सदस्या ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के साथ भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से बिहार में महिलाओं की स्थिति से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की और पुलिस और मेडिकल अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों पर भी चर्चा की। ● सदस्या महिलाओं के विरुद्ध नृशंस अपराधों के बारे में जांच करने के लिए 13 से 16 जुलाई, 2016 तक संबलपुर, भुवनेश्वर, कटक और उड़ीसा के अन्य जिलों में गई। सदस्या ने ओड़िसा में महिलाओं की स्थिति के बारे में माननीय गृह मंत्री को भी एक पत्र लिखा।

❖ सदस्या रेखा शर्मा, जो पूर्वी राज्य आयोगों जैसे पश्चिमी बंगाल, ओड़िसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान और निकोबार की प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति पर भुवनेश्वर में आयोजित क्षेत्रीय परामर्श में उपस्थित हुई। ● इस परामर्श में पूर्वी राज्यों के कुछ गैर सरकारी संगठन भी शामिल हुए। ● "कथित रूप से सास–ससुर द्वारा राजस्थान की महिला पर गाली के साथ टैटू गोदा गया" रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सदस्या रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति मामले की जांच करने के लिए जयपुर गई। समिति अपनी

सदस्या रेखा शर्मा (चश्मा पहने हुए) यमुना नगर में जांच करती हुई

टिप्पणियाँ और सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों को भेजेगी। ● "लड़के ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा – बलात्कारी को दंड दो" रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सदस्या रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति मामले की जांच करने के लिए राजस्थान के गांव झोटवारा गई। समिति संबंधित प्रधिकारियों को अपनी टिप्पणियां और सिफारिशें भेजेंगी। सदस्या एक महिला द्वारा अपनी बहु के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच करने के लिए कालकाजी में एक डी.डी.ए. फ्लैट गई। ● "हरियाणा के एक सरकारी अस्पताल में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ बलात्कार किया गया" रिपोर्ट को नोट में लेते हुए श्रीमती शर्मा मामले की जांच करने के लिए हरियाणा में यमुनानगर गई। वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, जांच अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली। उन्होंने पाया कि यह कथित बलात्कार अस्पताल में पुलिस के सत्यापन के बिना काम करने वाले एक संविदा वर्कर द्वारा किया गया था। जांच समिति पीड़िता को उपयुक्त मुआवजा दिलाने और उसके पुनर्वास में सहायता देने का प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005 द्वारा मुद्रित।